प्रमोद

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या- 14735/2015)

29 दिसंबर, 2015

[विक्रमजीत सेन और शिवा कीर्ति सिंह, जे. जे.]

महाराष्ट्र के निजी स्कूलों के कर्मचारी (शर्त सेवा) नियम, 1981: आर. 3-पदोन्नति-प्रधान अपीलार्थी का पद-रिट याचिकाकर्ता वरिष्ठतम व्याख्याता- प्रधानाचार्य का पद खाली हो गया-एक और व्यक्ति नियुक्त-रिट याचिका लंबित है कि प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है- अपीलार्थी की याचिका है कि एक निजी पॉलिटेक्निक में प्राचार्य के पद को अनिवार्य रूप से आर.3 के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका का यह होल्ड करते हुए निपटारा कर दिया कि कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में सभी लाभों का हकदार था लेकिन इस विवाद में नहीं पड़ें कि नियमित प्राचार्य के रूप में नियुक्त किसे चुना जाना चाहिए और -अपीलार्थी ने एक और रिट दायर की प्राचार्य के पद पर पदोन्नति का दावा करने वाली याचिका यू/आर.3 (3) - उच्च न्यायालय ने पॉलिटेक्निक चलाने वाली शिक्षा सोसायटी को तकनीकी शिक्षा निदेशक से विज्ञापन जारी करने की अनुमति के लिए संपर्क करने की अनुमति देने वाली रिट याचिका का निपटारा कर दिया-निदेशक ने अपीलार्थी की प्रार्थना को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि इस पद को सीधी भर्ती से भरा जाना है- निदेशक के आदेश को व संबंधितों अधिकारियों को निर्देश जो उन्हें बढ़ावा देती है को रद्द करने के लिए अपीलार्थी द्वारा याचिका -उच्च अदालत ने अपीलार्थी के खिलाफ फैसला सुनाया-अपील पर,

अभिनिर्धारित कियाः आर. 3 का उप. नियम (5) ऐसी स्थिति जहाँ पदोन्नति के लिए योग्यता वैधानिक आर. 3 (3) के तहत निर्धारित नियुक्ति हेड-मोड के रूप में उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, कोई निर्धारित उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है, में सक्षम सरकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सीधी भर्ती की अनुमति देता है और चूंकि अपीलार्थी शिक्षण कर्मचारियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य माना जाता है और पहले के फैसले में भी पॉलिटेक्निक के प्रभारी प्राचार्य के सभी लाभ के लिए हकदार माना गया था, वे रिक्त स्थान पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते थे किया गया है- प्राचार्य का पद-सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में, एक शिक्षक के रूप में भी अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक विस्तार के लिए विचार किया जा सकता था यदि उचित समय पर इसके लिए कदम उठाए गए- निदेशक के गलत आदेश के कारण अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किया गया था अन्यथा वह 65 वर्ष या किसी भी मामले में 62 वर्ष से पहले सेवानिवृत्त नहीं हुआ होगा-इसलिए, न्यायहित में, अधिकारी को अपीलार्थी को तुरंत बहाल करने और उन्हें प्रधानाचार्या के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है - महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा की शर्त) विनियमन अधिनियम, 1977-अखिल भारतीय तकनीकी परिषद शिक्षा अधिनियम, 1987 - एस. 23 आर/डब्ल्यू एस. 10 ((i) और (v)-शिक्षा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1. प्राचार्य, विभाग के प्रमुख, सरकार में व्याख्याता और कार्यशाला अधीक्षक पॉलिटेक्निक और समकक्ष संस्थान (भर्ती) नियम, 2012 निजी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक पर लागू नहीं होंगे। जैसे कि प्रत्यर्थी का पॉलिटेक्निक। नतीजतन, वहाँ एम. ई. पी. एस. नियमों के नियम 3 (3) के बल को छीनने के लिए कोई अन्य सांविधिक अधिनियम या नियम नहीं है जिसके लिए पॉलिटेक्निक का प्रबंधन आवश्यक है, जो एम. ई. पी. एस. अधिनियम के तहत 'स्कूल'की परिभाषा के अंतर्गत आता है,

स्कूल में कार्यरत शिक्षकों में से अनुसूची 'एफ'में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी शिक्षण के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करके संस्थान के प्रमुख अर्थात प्राचार्य का पद भरना। उत्तरदाता- पॉलिटेक्निक प्रबंधन द्वारा संचालित केवल एकमात्र पॉलिटेक्निक है। नियमों की अनुसूची 'एफ' नियम विभिन्न विद्यालयों में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए केवल दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं। अपीलार्थी पॉलिटेक्निक में वरिष्ठतम शिक्षक है । नियम 3 का उप-नियम (5) ऐसी स्थिति जहाँ पदोन्नति के लिए योग्यता के तहत निर्धारित नियुक्ति हेड कोई निर्धारित उपयुक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है, में सक्षम सरकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सीधी भर्ती की अनुमति देता है। [पैरा 12] [142-बी-ई]

2. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कानून में गलती की है कि एम. ई. पी. एस. नियमों के नियम 3 (3) के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का तरीका पॉलिटेक्निक पर लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि यह एक स्कूल है क्योंकि नियम 3 के उप नियम (1) के तहत पॉलिटेक्निक के लिए कोई अलग योग्यता निर्धारित नहीं है। उक्त उपनियम में न केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए बल्कि रात्रि विद्यालय या जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सहित माध्यमिक विद्यालय के लिए भी प्रमुख की योग्यता और नियुक्ती शामिल है। अपीलार्थी उन योग्यताओं को पूरा करता है। इसके अलावा यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित पॉलिटेक्निक के प्राचार्य पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को भी पूरा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक नियम 3 (3) के तहत निर्धारित नियुक्ति के तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और क्योंकि अपीलार्थी प्रासंगिक समय में पॉलिटेक्निक में शिक्षण कर्मचारियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य था, जैसा कि उच्च न्यायालय के पिछले निर्णय में माना गया था जब 9.7.2007 से उसे पॉलिटेक्निक के प्रभारी प्राचार्य के सभी लाभों का हकदार घोषित किया गया था, तो अपीलार्थी को

प्राचार्य के रिक्त पद पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। [पैरा 13] [142-एफ-एच; 143-ए-डी]

3. सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय पास प्रासंगिक नियमों या अधिसूचनाओं पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था और इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर विवाद शिक्षक के पद पर सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में इसके अलावा एक प्राचार्य की आयु 60, 62 या 65 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवादी के अनुसार, राज्य सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से दिनांक 5 मार्च, 2010 एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार गैर-सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है और इसे राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही 62 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार प्रधानाचार्य के पद सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इस शर्त के साथ कि राज्य सरकार को आगे 62 वर्ष से अधिक के किसी भी विस्तार के लिए मंजूरी देनी होगी। दूसरी ओर, अपीलार्थी का रुख यह है कि उसे मनमाने ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया है और कई वर्षों से प्रतिवादी-समाज के प्रबंधन के खिलाफ लंबित मुकदमेबाजी के कारण विस्तार के लिए विचार नहीं किया गया है। सामग्री से यह स्पष्ट है कि एक शिक्षक के रूप में भी अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष तक विस्तार के लिए विचार किया गया जा सकता था यदि उसी के लिए नियत समय में उचित कदम उठाए गए होते। इसके अलावा ए. आई. सी. टी. ई. के विनियम वैधानिक होने के कारण जब तक कि ये एक सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित या रद्द नहीं किया जाता है, अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी जाती है। अंततः और किसी भी मामले में, इस अदालत ने अपीलार्थी की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और अपीलार्थी को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही द्वारा संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा ऐसे आदेश अनदेखी की

गई। फिर भी एक और आयाम पर न्यायहित में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैधानिक एम. ई. पी. एस. नियम के अनुसार, अपीलार्थी को स्कूल के प्रमुख के रूप में या दूसरे शब्दों में पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के रूप में बहुत पहले पदोन्नत किया जाना चाहिए था और किसी भी मामले में वर्ष 2012 के अंत तक बशर्ते प्रतिवादी-निदेशक ने एक अवैध और गलत आदेश पारित नहीं किया हो, जब वह निजी प्रतिवादी पॉलिटेक्निक पर सरकारी नियम 2012 को गलत तरीके से लागू करने के लिए आगे बढ़ा। यदि प्रतिवादी निदेशक द्वारा सही दृष्टिकोण अपनाया गया होता तो 2012 के अंत तक अपीलार्थी प्रतिवादी पॉलिटेक्निक में प्राचार्य के पद पर होता और तब वह 65 वर्ष से पहले या किसी भी मामले में 62 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त नहीं हुआ होता। न्यायहित मे अपीलार्थी को दो सप्ताह के भीतर तत्काल बहाल करने का निर्देश देना उचित माना जाएगा। प्रत्यर्थी समाज के प्रबंधन को अपीलार्थी के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है और उससे कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए, अपीलार्थी को प्रबंधन की दया पर निर्भर करने के बजाय, संबंधित उत्तरदाताओं को चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के माध्यम से बहाली का आदेश जारी करने और अपीलार्थी की नियुक्ति का आदेश जारी करने को निर्देशित किया जाता है। अपीलार्थी को प्राचार्य के पद पर ऐसी पदोन्नति द्वारा नियुक्त माना जायेगा, यदि प्रतिवादी-निदेशक ने गलत आदेश पारित नहीं किया होता तो सामान्य रूप से इस तरह की पदोन्नति के लिए 01 दिसंबर 2012 का समय लिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ऐसी पदोन्नति के आधार पर सभी परिणामी लाभों का भी हकदार होगा। चूंकि अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति के कारण बाधित हो गई थी। 31.3.2015 अंतरिम आदेश के विपरीत उन्हें बहाली तक पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन और अन्य अनुमेय परिलब्धियों के हकदार के साथ 31.3.2015 के बाद भी

बिना किसी रूकावट के सेवा में जारी रखा माना जाएगा। [पैरा 15 से 18] [143-एफ-एच; 144-ए, ई-एच; 145 ए-एच; 146-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 14735/2015।

न्यायिक उच्च न्यायालय, बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर के 2013 की रिट याचिका संख्या 652 में निर्णय और आदेश दिनांकित 10.10.2014 से।

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष पिटाले, एस. जे. काडू, सी. एस. आशरी, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, अधिवक्ता- अपीलार्थी के लिए।

तुषार मेहता, ए. एस. जी., महालिंग पांडर्गे, अतिरिक्त सरकारी. अधिवक्ता, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर- अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय शिवा कीर्ति सिंह, जे. द्वारा दिया गया था।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील कानून का सवाल उठाती है कि क्या श्री शिव जी एजुकेशन सोसाइटी प्रतिवादी सं. 4 द्वारा प्रशासित एक निजी पॉलिटेक्निक संस्थान में सबसे वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है क्योंकि यह केवल महाराष्ट्र निजी स्कूलों के कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) नियम, 1981 ('एम. ई. पी. एस. नियम'की संक्षिप्तता के लिए) के नियम 3 के आधार पर पदोन्नति द्वारा बनाया जाना आवश्यक है, जो महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) के तहत बनाया गया है। विनियमन अधिनियम, 1977 (एम. ई. पी. एस. अधिनियम की संक्षिप्तता के लिए)।

3. यद्यपि प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता की वरिष्ठता, योग्यता और पात्रता पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष कोई प्रश्न नहीं था। हमारे समक्ष न केवल आक्षेपित निर्णय के आधार पर अपीलार्थी के दावे का विरोध करने

का प्रयास किया गया था। अपील के तहत फैसले में कहा गया है कि कानून क तहत नियुक्ति जरूरी नहीं कि केवल पदोन्नति से हो, यह नामांकन से भी हो सकता है यानी सीधी भर्ती लेकिन योग्यता के साथ-साथ उसकी आयु के आधार पर अपीलार्थी के दावे को चुनौती दी जा सकती है। बाद के विकास के कारण उम्र का मुद्दा उत्पन्न हुआ है। उस पर समय बीतने के कारण, जब यह मामला पहले से ही इस न्यायालय के समक्ष लंबित था, अपीलार्थी ने 60 वर्ष पूरे किए और 31.3.2015 को सेवानिवृत्त हो गये। चूंकि अपीलार्थी के पक्ष में यथास्थिति का आदेश था, इसलिए अवमानना याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन उस पर जोर देने के बजाय, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने मुख्य मामले पर बहस करना पसंद किया। पहले ध्यान दिये गये कानून के प्रश्न का जवाब देने से पहले प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में नोट किया।

4. अपीलार्थी को प्रतिवादी शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 30 जुलाई, 1977 को डॉ. पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक, अमरावती के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया गया था। उसकी सेवा को 1.7.1979 से मंजूरी दी गई थी। अपीलार्थी के पास प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (सिविल) और प्रथम श्रेणी में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (संरचना) की भी योग्यता है। दिनांक 1.4.1993 को अपीलार्थी को व्याख्याता (चयन ग्रेड) के रूप में नियुक्त किया गया था। पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के कार्यालय द्वारा 1.7.1997 को जारी की गई वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता विधिवत दिखाई गई है। अपीलार्थी ने 4.2.2000 और 30.7.2007 के बीच परियोजना अधिकारी के रूप में काम किया। इस पद को विभाग प्रमुख पद के समतुल्य कहा जाता है। अपीलार्थी ने 8.8.2005 से 13.2.2008 तक सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रभारी प्रमुख के रूप में भी काम किया, जिसके लिए उन्हें चुना गया और नियमित आधार पर नियुक्त भी किया गया। इस बीच 5.7.2007 को तत्कालीन प्राचार्य की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्रिंसिपल का यह पद खाली हो

गया था। अपीलार्थी ने दावा किया कि उसे उसकी वरिष्ठता के आधार पर इसका प्रभार दिया जाना चाहिए, लेकिन 9.7.2007 को एक अन्य व्यक्ति को कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने 2007 में एक रिट याचिका संख्या 3230/2007 को प्राथमिकता देकर इस तरह की कार्रवाई को चुनौती दी। उस रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी के पास स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष एम. ई. पी. एस. अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील का वैकल्पिक उपाय था। इसके बाद अपीलार्थी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष रिट याचिका संख्या 39/2007 को प्राथमिकता दी जिसने 11.10.2007 को अपील को पूर्व-परिपक्व बताते हुए खारिज कर दिया। विद्यालय ट्रिब्यूनल के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने सं. एक अन्य संख्या 5748/2007 वाली रिट याचिका दाखिल की।

5. उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, सोसायटी ने प्रधानाचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया। अपीलार्थी ने दिनांकित 21.11.2007 के उस विज्ञापन को चुनौती दी और सोसायटी को पदोन्नति देकर उसे प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने के लिए एक निर्देश देने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी और अंततः अपीलार्थी के पक्ष मे अभिनिर्धारित करते हुए 15.9.2009 को रिट याचिका का निपटारा कर दिया कि वह 9.7.2007 से कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में सभी लाभों का हकदार था, लेकिन इस विवाद में नहीं पड़ा कि नियमित प्राचार्य के रूप में किसे चुना जाना चाहिए और नियुक्त किया जाना चाहिए। चूंकि यह मुद्दा खुला छोड़ दिया गया था, अपीलार्थी ने एक और रिट याचिका संख्या 4235/2009 दायर की जिसमें यह दावा किया गया कि वह एम. ई. पी. एस. नियमों के नियम 3 (3) के तहत पॉलिटेक्निक के सबसे वरिष्ठ व्याख्याता होने के नाते प्राचार्य के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था।

6. 5.3.2010 को, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षिप्त 'ए. आई. सी. टी. ई.' के लिए) ने विनियम 2010 के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद [वेतनमान, शिक्षकों की सेवा शर्तें और योग्यताएँ और तकनीकी संस्थानों में अन्य शैक्षणिक कर्मचारी (डिप्लोमा)] को तैयार करते हुए एक अधिसूचना जारी की। रिट याचिका का 29.7.2010 को निपटारा किया गया था। उच्च न्यायालय ने सोसायटी को नया विज्ञापन जारी करने की अनुमति के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशक से संपर्क करने की अनुमति दी और अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति का दावा पेश करने के लिए और विशेष तथ्य और एम. ई. पी. एस. नियमों को देखते हुए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं थी इस मुद्दे को उठाने के लिए निदेशक को प्रतिनिधत्वि करने के लिए खुला छोड़ दिया। निदेशक को सोसायटी के आवेदन और अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया था और इस बीच अपीलार्थी को प्रभारी प्राचार्य के रूप में बने रहना था। किसी न किसी कारण से मामला प्रतिवादी निदेश के पास रहा और इस बीच 10.9.2012 पर महाराष्ट्र राज्य ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से अधिसूचित नियमों का शीर्षक दिया-प्राचार्य, विभाग्यध्यक्ष, व्याख्याता और कार्यशाला अधीक्षक। सरकारी पॉलिटेक्निक और समकक्ष संस्थान (भर्ती) नियम 2012 (इसके बाद 'सरकारी नियम 2012' के रूप में संदर्भित)।

7. निदेशक-प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.10.2012 सरकारी नियम 2012 पर निर्भरता रखी गई और अपीलार्थी की प्रार्थना को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि प्रधानाचार्य को नामांकन यानि सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था। अपीलार्थी ने निदेशक के आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता को सभी लाभों के साथ प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत करने के लिए संबंधित अधिकारीयों को निर्देश देने के लिए एक रिट याचिका सं. 652/ 2013 को प्राथमिकता दी। विशेष अनुमति याचिका और वर्तमान अपील को जन्म देते हुए रिट याचिका को दिनांक 10.10.2014 को खारिज कर दिया

गया था। विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 21.11.2014 को नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता-अपीलार्थी की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देश दिया।

8. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया कि पहले पूर्ण पीठ के फैसले के अनुसार एमईपीएस अधिनियम और एमईपीएस नियमों के प्रावधान इन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में काम करने वाले कर्मचारीयों पर लागू होते हैं, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं जो एम. ई. पी. एस. की धारा 2 (24) के तहत परिभाषित 'स्कूल' शब्द के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में, मामले के उस दृष्टिकोण में, पहले दौर में अपीलार्थी को स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील के वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के लिए निर्वासित कर दिया गया था। डिवीजन बेंच ने ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा प्राचार्य पद के लिए निर्धारित योग्यताओं पर गौर किया जिसे अपीलार्थी पूरा करता है। हालांकि, डिवीजन बेंच ने प्रत्यर्थी राज्य के रुख को स्वीकार कर लिया है कि दिनांक 20.12.1999 के पत्र के माध्यम से की गई ए. आई. सी. टी. ई. की सिफारिशों को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार ने 27.2.2003 को उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था औ इसलिए, एम. ई. पी. एस. के प्रावधान प्रधानाचार्य के पद पर सबसे वरिष्ठ शिक्षक की पदोन्नति के प्रावधान वाले नियमों में यह क्षेत्र शामिल नहीं होगा और इसकी सिफारिशों के अनुसार 50 प्रतिशत संवर्ग पदों की भर्ती राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन के माध्यम से खुले चयन और केवल 50 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने की आवश्यकता है। इस याचिका पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ फैसला सुनाया और माना कि वह यह मानने मे असमर्थ है कि एक निजी पॉलिटेक्निक में प्राचार्य का पद अनिवार्य रूप से पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिए। हलांकि, एम. ई. पी. एस. नियमों के नियम 3 (3)

में ऐसा प्रावधान किया गया है। यह प्रासंगिक नियम उच्च न्यायालय के फैसले में निकाला गया है और निम्नानुसार है-

" 3. प्रमुख की योग्यता और नियुक्ति।

(1) 200 से अधिक छात्रों वाले या प्रथम से सातवीं कक्षा वाले प्राथमिक विद्यालयों (क) (i) के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति सबसे वरिष्ठ प्रशिक्षित शिक्षक होंगे, जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव दिया होत सेवाः और

(ii) किसी भी अन्य प्राथमिक विद्यालय का सबसे वरिष्ठ प्रशिक्षित शिक्षक होगा।

(ख) रात्रि विद्यालय या जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सहित एक माध्यमिक विद्यालय का स्नातक होना चाहिए, जिसके पास वैधानिक विश्वविद्यालय के शिक्षण या शिक्षा में स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए और कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसी माध्यमिक विद्यालय या जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्नातक होने के बाद कुल पूर्णकालिक शिक्षण अनुभव, जिसमें से कम से कम दो साल का अनुभव शिक्षण या शिक्षा में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद की होना चाहिए।

बशर्ते कि, एक रात्रि माध्यमिक विद्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के मामले में

(i) वह ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो एक दिन के स्कूल के प्रमुख या सहायक प्रमुख का पद धारण कर रहा है, और

(ख) उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित अनुभव अंशकालिक शिक्षक के रूप में हो सकता है।

(2) -------

(3) एक रात्रि विद्यालय सहित एक विद्यालय का प्रबंधन शिक्षण कर्मचारियों के सबसे वरिष्ठ सदस्य अनुसूची "एफ"में निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार विद्यालय में कार्यरत लोगों में से नियुक्ति करके प्रमुख का पद भरा जाएगा। यह प्रबंधन द्वारा संचालित एकमात्र स्कूल है या स्कूल यदि इसके द्वारा संचालित एक से अधिक स्कूल रात्रि स्कूल को छोड़कर है, जो उप-नियम (1) में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हं और जिनके पास सेवा का संतोषजनक अभिलेख है।"

9. अपीलार्थी की ओर से यह बताया गया कि अपील के तहत निर्णय ने सही ढंग से माना है कि सरकारी नियम 2012 केवल सरकारी पॉलिटेक्निक या समकक्ष या संस्थान पर लागू होते हैं अर्थात, संस्थान को सरकारी पॉलिटेक्निक के समान दर्जा प्राप्त है, निजी पॉलिटेक्निक नहीं, जैसा कि मौजूदा मामले में है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च् न्यायालय का यह दृष्टिकोण अपीलार्थी के खिलाफ निदेशक के आदेश के आधार को खत्म कर देता है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय को किसी अन्य मुद्दे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

10. अपीलार्थी की ओर से एक जोरदार रुख अपनाया गया कि सरकारी नियम, 2012 को छोड़कर, प्रधानाचार्य के पद को भरने के तरीके के संबंध में राज्य सरकार य ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है और प ही कोई प्रावधान है। एक निजी पॉलिटेक्निक के लिए इसलिए अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार एम. ई. पी. एस. नियमों का नियम 3 (3) वैधानिक होने के कारण, प्रत्यर्थी

अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और केवल वे ही अपीलार्थी के दावे पर लागू होते हैं, जो अनुमति के योग्य थे लेकिन निदेशक और उच्च न्यायाल द्वारा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिए गए थे।

11. दूसरी ओर, सोसायटी के लिए विद्वान सलाहकार ने यह रुख अपनाया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि सरकारी नियम 2012 इस आधार पर पॉलिटेक्निक पर लागू नहीं हो सकते हैं कि यह एक निजी सहायता प्राप्त संस्थान है। उनके अनुसार क्योंकि, समाज अंततः उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुआ, यह उपर देखे गए प्रतिकूल निष्कर्ष के खिलाफ अपील में आने के लिए बाध्य नहीं था और उच्च न्यायालय के अंतिम निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए उस निष्कर्ष को चुनौती देने का हकदार है। ऐसी स्थिति में हमने महाराष्ट्र राज्य सरकार को इस मुद्दे पर एक हलफनामा दायर के लिए और समय दिया कि क्या सरकारी नियम 2012 प्रतिवादी पॉलिटेक्निक पर लागू होते हैं, जो एक निजी सहायता प्राप्त संस्थान है। दिनांकित 8.12.2015 का इस तरह का हलफनामा अब अभिलेख पर है और यह राज्य सरकार का दृढ़ रुख है कि सरकारी नियम 2012 प्रत्यर्थी पॉलिटेक्निक पर लागू नहीं है क्योंकि यह केवल एक निजी सहायता प्राप्त संस्थान हैं।

12. हमने स्वयं भी उक्त नियमों 2012 की जांच की है और हम खुद को उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत पाते हैं कि ये नियम निजी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक जैसे कि प्रतिवादी की पॉलिटेक्निक पर लागू नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, एम. ई. पी. एस. नियमों के नियम 3 (3) के बल को हटाने के लिए कोई अन्य वैधानिक अधिनियम या नियम नहीं है, जिसके लिए पॉलिटेक्निक के प्रबंधन की आवश्यकता है, जो एम. ई. पी. एस. अधिनियम के तहत 'स्कूल' की परिभाषा के अंतर्गत आता है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से अनुसूची 'एफ' में निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार शिक्षण कर्मचारियों के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करके संस्थान

के प्रमुख अर्थात प्राचार्य पद को भरना। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाता-पॉलिटेक्निक प्रबंधन द्वारा संचालित एकमात्र पॉलिटेक्निक है। नियमों की अनुसूची 'एफ' विभिन्न विद्यालयों में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए केवल दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी पॉलिटेक्निक में सबसे वरिष्ठ शिक्षक है। नियम 3 का उप-नियम (5) सक्षम सरकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सीधी भर्ती की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में जहां निर्धारित योग्यता रखने वाला कोई उपयुक्त शिक्षक प्रमुख के रूप में पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है।

13. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में उच्च न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि एम. ई. पी. एस. नियमों का नियम 3 (3) के तहत पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का तरीका पोलिटेक्निक पर लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह एक स्कूल है क्योंकि वहां कोई अलग योग्यता निर्धारित नहीं है। नियम 3 के उप-नियम (1) में पॉलिटेक्निक के लिए उक्त उप-नियम में न केवल प्राथमिक विद्यालयों के लिए बल्कि रात्रि विद्यालय या एक जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सहित माध्यमिक विद्यालय के लिए भी प्रमुख की योग्यता और नियुक्ति शामिल है। अपीलार्थी उन योग्यताओं को पूरा करता है। इसके अलावा यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा निर्धारित एक पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता को भी पूरा नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वैधानिक नियम 3 (3) के तहत निर्धारित नियुक्ति के तरीके को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और चूंकि अपीलार्थी सुसंगत समय में पॉलिटेक्निक में शिक्षण कर्मचारियों में सबसे वरिष्ठ सदस्य था, जैसा कि पूर्व निर्णय में भी अभिनिर्धारित किया गया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जब उसे 9.7.2007 से पॉलिटेक्निक के प्रभारी प्राचार्य के सभी लाभों का हकदार घोषित किया गया था तो अपीलार्थी को प्राचार्य के रिक्त पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से वंचित नहीं

किया जा सकता था। प्रतिवादी निदेशक अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर खारिज कर दिया और अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर आदेश पारित करते हुए 17.10.2012 को उसे खारिज करते हुए पदोन्नति द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए निर्देश जारी नहीं किए। उस आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका को भी उच्च न्यायालय द्वारा अपील दिनांक 10.10.2014 के तहत आदेश द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया है।

14. उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह तय किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को अब क्या राहत दी जानी चाहिए। जब प्रत्यर्थी-समाज उसे सेवानिवृत्त होने के लिए आगे बढ़ा है। 31.3.2015 को इस न्यायालय की अनुमति के बिना और 21.11.2014 को पारित यथास्थिति आदेश के विपरीत कार्य करना।

15. सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे पर, उच्च न्यायालय के पास प्रासंगिक नियमों या अधिसूचनाओं पर विचार करने का अवसर कोई नहीं था और हमारे सामने एक गंभीर विवाद है कि क्या प्राचार्य के अलावा किसी अन्य शिक्षक के पद पर सेवानिवृत्ति की आयु 60,62 या 65 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवादी के अनुसार राज्य सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से 5 मार्च, 2010 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके तहत गैर सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है और इसे राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 62 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह, प्राचार्य पद के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है, लेकिन इस शर्त के साथ कि राज्य सरकार को 62 साल से आगे के किसी भी विस्तार के लिए मंजूरी देनी होगी उस राज्य के साथ सरकार को। दूसरी ओर, अपीलार्थी का रुख यह है कि कई वर्षों से प्रतिवादी समाज के प्रबंधन के खिलाफ लंबित मुकदमेबाजी के कारण उसे मनमाने ढंग से नजरअंदाज कर दिया गया है और उसके विस्तार के लिए विचार नहीं किया गया है।

समय समय पर पोलिटेक्निक के शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है, केवल लाइब्रेरियन को छोड़कर जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष बनी हुई है। अपीलार्थी का यह भी मामला है कि राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु के मुददे पर ए. आई. सी. टी. ई. की सिफारिश से कभी मतभेद नहीं किया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए. आई. सी. टी. ई. 5 मार्च, 2010 को विनियम जारी किए हैं और विनिमय अन्य बातों के अलावा सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान करते हैं और चूंकि वे तकनीकी शिक्षा संचालित करने वाले तकनीकी संस्थानों और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों और क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

16. ऊपर उल्लिखित सामग्रियों और प्रतिद्वंद्वी विवादों से, यह स्पष्ट है कि एक शिक्षक के रूप में भी अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्षों तक के विस्तार पर विचार किया जा सकता था, यदि उचित समय पर इसके लिए कदम उठाए गए होते। इसके अलावा, ए. आई. सी. टी. ई. के नियम वैधानिक हैं, जब तक कि इन्हें किसी सक्षम प्राधिकरण प्रतिस्थापित या रद्द नहीं किया जाता है, अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ा दी जाती है। अंत में और किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी की सेवा के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था और अपीलार्थी को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्यवाही करके संबंधित उत्तरदाताओं द्वारा ऐसे आदेश को जरअंदाज कर दिया गया है। फिर भी न्याय के हित में एक अन्य आयाम के लिए विशेष विचार की आवश्यकता है। वैधानिक एम. ई. पी. एस. नियमों के अनुसार, अपीलार्थी को बहुत पहले ही स्कूल के प्रमुख के रूप में या दूसरे शब्दों में पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए था और किसी भी मामले में वर्ष 2012 के अंत तक, बशर्ते प्रतिवादी-निदेशक ने कोई

17.10.2012 को त्रुटिपूर्ण अवैध पारित न किया हो। जब उन्होनें निजी प्रतिवादी पोलिटेक्निक पर सरकारी नियम 2012 को गलत तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाया। यदि प्रतिवादी निदेशक द्वारा सही दृष्टिकोण अपनाया गया होता तो 2012 के अंत तक, अपीलार्थी प्रतिवादी पोलिटेक्निक में प्रधानाचार्य के पद पर होता और वह 65 वर्ष या किसी भी मामले में 62 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त नहीं होता।

17. ऊपर देखे गए तथ्यों में और चूंकि उत्तरदाताओं की ओर से सेवानिवृत्ति की आयु के मुद्दे पर कुछ भ्रम और सहायता की कमी है और अपील के तहत फैसले में इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई है इसलिए भी हम इस संबंध में कानून बनाने से बचते हैं। लेकिन न्यायिहत में हम अपीलार्थी को आज से दो सप्ताह के भीतर तत्काल बहाल करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। आमतौर पर हम प्रतिवादी समाज के प्रबंधन को पदोन्नति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने और कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का निर्देश देते थे, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के साथ-साथ सुनवाई के दौरान प्रस्तुतियों से, हमें यह आभास हुआ है कि प्रतिवादी सोसायटी के प्रबंधन को अपीलार्थी के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष नहीं माना जा सकता है और उससे कानून के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए, अपीलार्थी को प्रबंधन की दया पर निर्भर करने के बजाय हम संबंधित उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे आज से चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी पॉलिटेक्निक के प्राचार्य के पद पर पदोन्नति क माध्यम से बहाली का आदेश जारी करें और अपीलार्थी की नियुक्ति भी करें।

18. अपीलार्थी को 1 दिसंबर 2017 से प्रिंसिपल के पद पर ऐसी पदोन्नति द्वारा नियुक्त माना जाएगा। यदि प्रतिवादी-निदेशक ने 17.10.2012 को कोई गलत आदेश पारित नहीं किया था, तो सामान्य तौर पर 1 दिसंबर 2012 को ऐसी पदोन्नति के लिए टायर लिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी ऐसी पदोन्नति के आधार पर सभी परिणामी

लाभों का हकदार होगा। चूंकि अपीलार्थी की सेवा सेवानिवृत्त के कारण बाधित हो गई थी, 31.3.2015 हमारे अंतरिम आदेश क विपरीत, उसे बहाली तक पूरी अवधि के लिए पूर्ण वेतन और अन्य अनुमेय परिलब्धियों के हकदार के साथ 31.3.2015 के बाद भी बिना किसी रूकावट के सेवा में जारी रखा माना जाएगा।

19. 50,000/-रूपये की लागत के साथ उपरोक्त शर्तों में अपील की अनुमती दी गई। प्रतिवादी क्रमांक संख्या 4-सोसायटी द्वारा अपीलार्थी को अन्य बकाया राशि के साथ दो महीने के भीतर लागत का भुगतान करना होगा।

देवीका गुजराल   अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।